बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक_____पटना, दिनांक_____

ग्रा.वि.-7(सा0वा0)-08/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक
सभी उप विकास आयुक्त-सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषयः- मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक- 215360 दिनांक 07.01.2015, पत्रांक- 216963 दिनांक 19.01.2015, पत्रांक- 220017 दिनांक 10.02.2015, पत्रांक- 222119 दिनांक 25.02.2015, पत्रांक- 226744 दिनांक 07.04.2015 ।

महाशय,

मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों का कृप्या स्मरण किया जाए । उक्त पत्रों द्वारा सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिए जा चुके है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु उच्च स्तर पर निरंतर समीक्षा भी की जा रही है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी पर SOP बनाई गई है । सामाजिक वानिकी के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा सभी जिलों के लिए Facilitator का चयन किया गया है एवं उसकी सूची पत्रांक 222119 दिनांक 25.02.2015 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है । Facilitator द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य एवं उनके दायित्वों का उल्लेख भी उक्त पत्र के साथ अनुलग्न किया गया है ।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु दिए गए निर्देश के आलोक में राज्य की जनसंख्यिकीय एवं भूमि की स्थिति के आलोक में विभाग द्वारा उक्त मार्गदर्शिका में संशोधन कर राज्य के परिपेक्ष्य में सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाया गया है । दिनांक 28.01.2015 को सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था । उक्त कार्यक्रम के दौरान सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को सामाजिक वानिकी से संबंधित Standard Operating Procedure की कुल 25000 प्रतियाँ उपलब्ध कराई गई थी एवं उक्त प्रतियों को जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सभी मनरेगा कर्मियों यथा PRS, PTA, JE, AE एवं सभी मुखियागण को (जिलावार/प्रखंण्डवार संख्या अनुलग्नक एक पर संलग्न) उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था । विभाग को कतिपय स्त्रोतो से जानकारी मिल रही है कि कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा संबंधित कर्मियों तथा पदाधिकारियों को प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी गई है ।

28/4/15

अत: सभी उप विकास आयुक्त, यह सुनिश्चित करेगे कि सामाजिक वानिकी के SOP का वितरण सभी संबंधितों को हो गया है एवं इससे संबंधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराएंगे ।

3. सामाजिक वानिकी के सफल क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा निर्देश एवं विभिन्न कार्यों हेतु निर्धारित की हुई समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए-

(i) उप विकास आयुक्त सभी Facilitator के साथ अविलंब बैठक कर सामाजिक वानिकी के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना बनाऐंगे एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ बैठक कर विभाग को प्रगति प्रतिवेदित करेंगे एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो अविलंब उसका समाधान करेंगे ।

(ii) विभाग के द्वारा प्रति पंचायत 20 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस संबंध में सभी ग्राम पंचायतो में 1 मई 2015 को विशेष ग्राम सभा करा कर पौधारोपण के लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं का चयन सुनिश्चित किया जाए । जिन पंचायतों में IPPE के अंर्तगत पौधारोपण की योजनाये कम मात्रा में ली गयी है वहाँ कार्यक्रम पदाधिकारी विशेष रूप से ग्राम सभा में योजनाओं के चयन हेतु निगरानी करेगें । यह कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योकि पूर्व में ऐसा पाया गया है कि वृक्षारोपण की कम योजनाओं के चयन के कारण मजदूरी सामग्री व्यय का अनुपात 60:40 का अनुपालन नही हो पा रहा है । इस वजह से वर्ष 2014-15 में अतिरिक्त सामग्री मद में वर्तमान में 191.52 करोड़ रूपये का व्यय बिहार सरकार को राज्य निधि से वहन करना पड़ा है । अत: वर्ष 2015-16 में मजदूरी सामग्री व्यय के 60:40 अनुपात बनाए रखने के लिए सभी उप विकास आयुक्त सामाजिक वानिकी की योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देंगे ।

(iii) विभागीय निदेश के अनुसार प्रति पंचायत 20000 पौधे लगाए जाने हैं एवं प्रति 200 पौधो (1यूनिट) पर दो वन पोषको को संलग्न किया जाना है। पंचायत में लक्ष्य के अनुरूप 200 वन पोषको का चयन सुनिश्चित करते हुए चयनित वनपोषको का नाम, योजना का नाम NregaSoft पर दिनांक 15.05.15 तक entry सुनिश्चित किया जाए।

(iv) सामाजिक वानिकी की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक जिलें के लिए Facilitator का चयनकिया गया है । संबंधित जिले के Facilitator का NregaSoft पर Vendor Registration करते हुए उनके बैंक खाता को Freeze किया जाए । यह कार्य 01 मई 2015 तक अनिवार्य रूप से कर ली जाए ।

(v) विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त द्वारा एक **PMU** की स्थापना सामाजिक वानिकी के लिए की जायेगी । जिलों में मनरेगा के कार्यपालक अभियन्ताइसके प्रभार में रहेंगे एवं एक **PO** एवं **APO** इस **PMU** के सदस्य होंगे । इस संबंध में उप विकास आयुक्त एक सप्ताह में **PMU** का गठन करते हुए, **PMU** के सभी सदस्यो का नाम एवं मोबाईल न0 विभाग को सूचित करेगे ।

(vi) विभाग द्वारा दिनांक 16.04.2015 को सभी Facilitator एवं जीविका के पदाधिकारी के साथ बैठक की गई थी । जीविका के द्वारा बिहार में व्यापक पैमाने पर स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है । सामाजिक वानिकी की योजनाओं में स्वयं सहायता समूह का गठन करते हुए महिलाओं को वनपोषक के रूप में मजदूरी भुगतान करने एवं स्वयं सहायता समूह कोप्रशिक्षण देते हुए नर्सरी में पौधों का उत्पादन किया जाना है । इस संबंध में उप विकास आयुक्त Facilitator की बैठक में संबंधित जीविका कर्मी को बुलाऐंगे एवं समन्वय करेगें । जीविका के पदाधिकारी द्वारा Facilitator को जिलावार स्वयं सहायता समूह की सूची प्रदान की जाएगी ।

(vii) दिनांक 13.04.2015 के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विकास मित्रों की कार्यशाला मे धोषणा की गई है कि महादलित महिलाओं एवं SC/ST परिवार को वनपोषक हेतु प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाए । इस संबंध में सभी विकास मित्र प्रत्येक माह महादलित टोले में स्वयं सहायता समूह के गठन हेतु आवश्यक सहयोग करेगें । सचिव, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से विकास मित्रों के दायित्वों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है ।

उरोक्त के आलोक में सामाजिक वानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए ।

अनुलग्नक यथोक्त

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 20.4.15

सचिव

ज्ञापांक:- 229003 पटना, दिनांक 20/4/15

प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी Facilitators को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित ।

(प्रदीप कुमार) 20.4.15

सचिव

21/4/15

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- _____ पटना, दिनांक_____

ज्ञा.वि.-

प्रेषक,

प्रदीप कुमार ,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त, बिहार ।

विषय:- **मनरेगा योजना के अंतर्गत सामजिक वानिकी के क्रियान्वयन के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-220527 दिनांक-13.02.2015, पत्रांक-222119 दिनांक-25.02.2015 एवं पत्रांक-223035 दिनांक-04.03.2015

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-222119 दिनांक-25.02.2015 द्वारा प्रति ग्राम पंचायत में 20,000 पौधे लगाने की कार्य प्रणाली तैयार करने का निदेश दिया गया था । विभागीय पत्रांक-220527 दिनांक-13.02.2015 एवं पत्रांक-223035 दिनांक-04.03.2015 द्वारा Road side plantation, Block plantation on community land/individual land, Farm bund plantation इत्यादि के संबंध में सूचना मांगी गई थी । ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-02.03.2015 को सामाजिक वानिकी से संबंधित राज्यस्तरीय नोडल पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में विभाग के द्वारा एक कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी ।

इस क्रम में प्रति ग्राम पंचायत 20,000 पौधे लगाने हेतु निम्नांकित कार्ययोजना का पालन किया जाय -

क) **ROAD SIDE PLANTATION**- प्रत्येक ग्राम पंचायत में PMGSY Road, RED Road, PWD Road एवं अन्य सड़कों की पहचान करते हुए वृक्षारोपण करना है । औसतन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी तीन मीटर संधारित की गई है । अर्थात एक कि0मी0 की सड़क के दोनों किनारों पर दो पंक्तियों में वृक्षारोपण करते हुए औसतन 1200 पौधें लगाये जा सकते हैं । ग्राम पंचायतवार कम-से-कम 5 कि0मी0 सड़क का चुनाव करते हुए 6000 पौधें लगाने की प्रक्रिया अपनाई जाय ।

ख) **BLOCK PLANTATION ON COMMUNITY LAND**- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक भूमि, मंदिर परिसर, कब्रिस्तान, विद्यालय प्रांगण इत्यादि की पहचान करते हुए वृक्षारोपण करना है । औसतन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी तीन मीटर संधारित की गई है । एक हेक्टेयर में कुल-10,000 Square metre में वृक्षारोपण करने पर औसतन 1000 पौधें लगाये जा सकते हैं । ग्राम पंचायतवार कम-से-कम 8 हेक्टेयर पर block plantation on community land का चुनाव करते हुए 8000 पौधें अपनाई जाय ।

ग) **BLOCK PLANTATIDN ON INDIVIDUAL LAND/ FARM BUND PLANTATION**- प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति, बी0पी0एल0 कार्डधारी, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी, लघु एवं सीमांत किसान के जमीन इत्यादि की पहचान करते हुए वृक्षारोपण करना है । औसतन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की

11/3/18

दूरी तीन मीटर संधारित की गई है । एक हेक्टेयर में कुल-10,000 Square metre में वृक्षारोपण करने पर औसतन 1000 पौधें लगाये जा सकते हैं । ग्राम पंचायतवार कम-से-कम 6 हेक्टेयर पर block plantation on individual land/ farm bund plantation का चुनाव करते हुए 6000 पौधें अपनाई जाय ।

उपर्युक्त कार्ययोजना का पालन करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 20,000 पौधे लगाये जा सकते हैं। अतः अनुरोध है कि ग्राम पंचायतवार उपर्युक्त कार्ययोजना का पालन करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को दिनांक-~~23.03~~ 30.04.2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 1.4.15

सचिव

ज्ञापांक- 226794 पटना, दिनांक- 07-04-2015.

प्रतिलिपि- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सचिव 1.4.15

11/4/15

पत्रांक–ग्रा0वि0–7(सा0वा0)–08/2014–12119

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार।

पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2015

विषयः– बिहार में मनरेगा योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के समयबद्ध कियान्वयन के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मनरेगा केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार सभी इच्छुक वयस्क को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार में Working Season मात्र 4 से 5 महीना है, क्योंकि 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ग्रस्त है। जून, 2015 से जनवरी एवं फरवरी तक मिट्टी का कार्य इन बाढ़ग्रस्त जिलों में नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से 100 दिन का रोजगार मिट्टी के कार्य में मिलना संभव नहीं है। इसलिए वृक्षारोपण ही एक ऐसी योजना है, जिसमें सालोभर बेरोजगार को रोजगार दिया जा सकता है। इसके कारण बिहार में 34.06 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार रहने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2013–14 में मनरेगा अंतर्गत कुल व्यय 2462.02 करोड़ रूपये मात्र है, जबकि आंध्र प्रदेश में मात्र 10.96 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार है परन्तु वित्तीय वर्ष 2013–14 में मनरेगा अंतर्गत कुल व्यय 5347.91 करोड़ रूपये है। अतः स्पष्ट है कि बिहार में गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 2013–14 में मनरेगा के अंतर्गत व्यय अधिक नहीं हुआ। राज्य सरकार वृक्षादन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है एवं वर्ष 2017 तक इसे 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। यह राज्य सरकार के प्रयासों का ही फलाफल है कि वर्ष 2011 में लगभग 9.00 प्रतिशत से बढ़कर यह वर्तमान में 10.3 प्रतिशत हुआ है। मनरेगा अंतर्गत सूखारोधी एवं वृक्षारोपन कार्य का प्रावधान होने के कारण पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रयासों के अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत भी विगत 5–6 वर्षों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्य हुआ है।

2. भारत सरकार द्वारा निर्गत नयी मार्गदर्शिका के अनुसार बिहार के जनसांख्किीय (demographic) एवं भूमि (land) की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक 200 फलदार एवं लकड़ी पौधों अथवा एक हजार बाँस पौधों पर दो वन पोषकों को संबद्ध किया जायेगा। प्रत्येक वन पोषकों को प्रत्येक माह में 90 प्रतिशत से ज्यादा पौधों के जीवित रहने पर प्रत्येक जीवित पौधें के आलोक में 7 रूपये की राशि लगातार पॉच साल तक दी जायेगी। पॉच साल के बाद उन्हीं परिवार को 50–50 पौधे वृक्ष संरक्षण योजना के तहत् वृक्ष पट्टा के रूप में दिया जायेगा जिसका लाभ (usufruct right) उन्हें मिलेगा।

3. वर्ष 2009–10 से 2012–13 तक की गयी वृक्षारोपण की सभी योजनाओं को बंद कराकर वृक्ष संरक्षण योजना के अन्तर्गत 50–50 पेड़ संलग्न कर वनपोषकों को दिया जायेगा।वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–2015 में वृक्षारोपण की सभी योजनाओं को बंद कराकर उन सभी योजनाओं को पुनः नये दिशा निदेश के अनुसार नये रेकर्डस खोलते हुए चार वनपोषक के स्थान पर दो वनपोषक को सम्बद्ध किया जायेगा।

(ix) विभाग के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार इन उपर्युक्त सभी कार्यों में सहयोग करने एवं सामाजिक वानिकी योजनाओं का सफल कियान्वयन, मूल्यांकण, पर्यवेक्षण करने हेतु फैसिलीटेटर का चुनाव ई0ओ0आई0 एवं आर0एफ0पी0 के प्रकिया के उपरान्त जिलावार किया गया है। विभाग के द्वारा सभी फैसिलीटेटर से एक अनुबंध एकरारनामा किया गया है। फैसिलीटेटर की सूची एवं जिलावार आवंटन, फैसिलीटेटर का कार्य एवं दायित्व तथा एक उदाहरणस्वरूप एकरारनामा को परिशिष्ट–1, 2, एवं 3 के रूप में संलग्न किया गया है।

(x) प्रत्येक सामाजिक वानिकी योजना जो सार्वजनिक या निजी भूमि पर कियान्वित होगी, उसके आकस्मिकता मद में जो राशि निर्धारित होगी उस राशि को 5x12=60 किश्तों में बांटकर हर माह 10 तारीख के पहले फैसिलीटेटर के बैंक खाते में उनके द्वारा सम्पादित कार्य के सत्यापन के पश्चात स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

मानदेय का उदाहरण – सामाजिक वानिकी के तहत सरकारी जमीन पर फलदार पौधे की खेती के लिए मानक प्राक्कलन (1 यूनिट –200 पौधे) यदि 2,31,22 है तो उसमें योजना का 2 प्रतिशत अर्थात् 4534 राशि आकस्मिकता मद की भी सन्निहित है। अतः फैसिलीटेटर को उनके खाते में प्रत्येक माह के 10 तारीख के पहले कुल 4534/60=75.57 राशि जमा कर दी जायेगी।

प्रत्येक फैसिलीटेटर का बैंक खाता वेंडर रजिस्ट्रेशन में फीज करते हुए ई0एफ0एम0एस0 के माध्यम से डी0आर0डी0ए0 के द्वारा भुगतान किया जायेगा एवं भुगतान के अनुरूप प्रत्येक योजना में एम0आई0एस0 डेटा इंट्री करायी जाएगी।

(xi) इस परियोजना के लिए एक प्रोजेक्ट मेनेजमैंट यूनिट का सृजन किया गया है जिसके नोडल पदाधिकारी श्री कुमार सिद्धार्थ, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को बनाया गया है जिनका मोबाईल नं0–9431818387 है। यह दिशा–निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक जिला में एक प्रोजेक्ट मेनेजमैंट यूनिट का सृजन करते हुए नोडल पदाधिकारी का चयन करते हुए विभाग को सूचित किया जाए। यह कार्य 1 मार्च, 2015 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा विभाग को यह सूचित किया गया है कि लगभग 80 लाख पौधे वन विभाग के द्वारा नर्सरी में तैयार किये गये हैं। सामाजिक वानिकी में प्रथम प्राथमिकता में इन पौधों का वन विभाग से उठाव करते हुए वृक्षारोपण कराया जाएगा एवं पौधों की अनुपलब्धता की स्थिति (प्रजाति या संख्या) में ही फैसिलीटेटर के माध्यम से पौधों का उठाव किया जाएगा। प्रति पंचायत 20 हजार पौधों का लक्ष्य के अनुसार यह निदेश दिया जाता है कि जिलावार मिट्टी एवं जलवायु के परिप्रेक्ष्य के अनुसार पौधों की आवश्यकता की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए ताकि वन विभाग को नर्सरी तैयार करने में सहूलियत हो। यह कार्य 15 मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वास भाजन,
(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव
24/2/15

ज्ञापांक–222119/पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि, सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।
24/2/15

Annex - 2

अध्याय – 3

सामाजिक वानिकी हेतु सूचीबद्ध फैसिलीटेटर के कार्य एवं दायित्व

[illegible]

1. मनरेगा के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं को जोड़ते हुए स्वयं सहायता समूह बनाना एवं उनके अधिकारों (entitlementes) एवं मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करना ।

2. मनरेगा के तहत कार्यरत एजेंसी, यथा ग्राम पंचायतों एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों के बीच सामाजिक वानिकी/कृषि वानिकी के लाभों /फायदो के विषय में जानकारी प्रदान करना।

3. सामाजिक वानिकी/कृषि वानिकी से संबंधित विभिन्न कार्यो/क्रियाकलापों का सर्वेक्षण (Survey), आयोजना (Planning), प्राक्कलन (Estimate), मूल्यांकन (Evaluation) इत्यादि हेतु व्यक्तिगत लाभुको के साथ–साथ परियोजना क्रियान्वयन ईकाई को सहयोग प्रदान करना।

4. अच्छी गुणवतायुक्त पौधों एवं अन्य तत्वों को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा तय किए गए दर पर प्रदान करना ।

5. स्वयं सहायता समूहो को नर्सरी स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण एवं नर्सरी की स्थापना में सहयोग करना, तथा इनके द्वारा उत्पादित पौधों को ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेंसी से संबंद्ध कर विभाग द्वारा निर्धारित दर पर खरीदने की व्यवस्था मनरेगा नियमों के तहत करना।

6. इच्छुक लाभार्थियों का नाम मनरेगा के अंतर्गत जोड़ना एवं उन्हें जॉब कार्ड प्रदान करते हुए बैंक/पोस्ट ऑफिस के साथ संबद्ध करना ।

7. इच्छुक जॉबकार्डधारियों को रोजगार/काम की मांग का रजिस्ट्रेशन करवाना ।

8. वृक्षारोपण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना एवं पाँच वर्षो के लिए रख रखाव हेतु प्राशिक्षित करना।

9. उपस्थिति बनवाने में, मापी करने में, एम0आई0एस0 (MIS) अद्यतन कराने में, बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान कराने में एवं रिर्पोटिंग में सहयोग प्रदान करना ।

10. ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रदत GIS मैपिंग सुविधा एवं अन्य अनुश्रवण तकनीकों को सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करना।

11. वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत पौधों के वितरण (वृक्ष पट्टा) में सहयोग करना एवं विभाग द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार लाभार्थियों को वृक्ष पट्टा के लाभ लेने में सहयोग प्रदान करना ।

12. उत्पादो को सीधे बाजार एवं खाद्य प्रसंस्करण/बायोडिजल निष्कर्षण उद्योगों से संबद्ध करना एवं विभाग के द्वारा निर्धारित न्युनतम समर्थन मूल्य पर व्यक्तिगत लाभार्थियों को उत्पाद को खरीदने की व्यवस्था करना ।

13. व्यक्तिगत लाभार्थियों, परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं मनरेगा क्रियावन्यन से संबंद्ध लोगों का मोडयूल (Module) आधारित प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन करना ।

1531

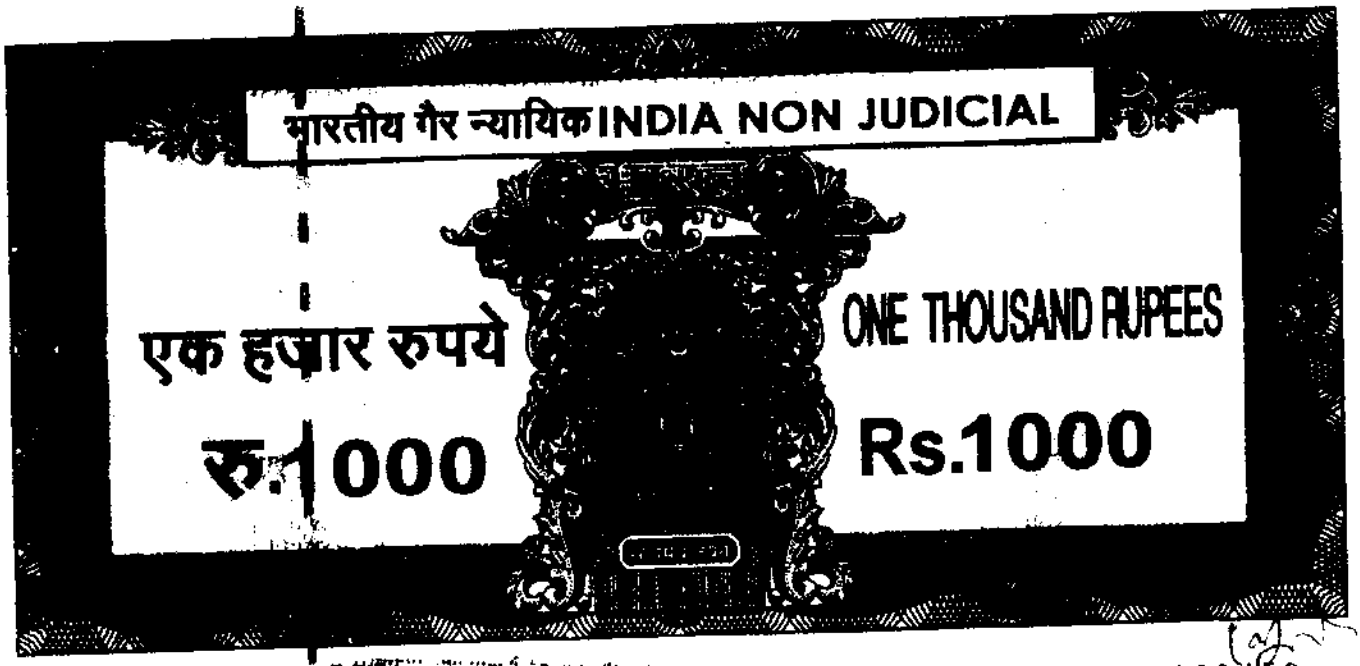

बिहार BIHAR

N 209459

Agreement for Facilitation of Social Forestry Project under MGNREGA

Re: Bihar Rural Development Society and C.M. Marketing & research Pvt. Ltd.

THIS AGREEMENT is made on this 07 day of February, 2015 between **Bihar Rural Development Society**, Rural Development Department, Government of Bihar, India, herein after referred to as the "**BRDS**" (**First Party**)

And

C.M. Marketing & Research Pvt. Ltd.rm/Agencyhaving its registered office at 94 B, Ground Floor, Shayam Lal Road, Dariyagunj, Delhi-110002, hereinafter referred to as "**C. M. Marketing & Research Pvt. Ltd.**" (which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof mean and include their respective heirs, executors, administrators, Joint Ventures, associated companies and permitted assigns) (**Second Party**)

BRDS and **C.M. Marketing & Research Pvt. Ltd.** Shall hereinafter be jointly referred to as "Parties" and singularly as "Party".

regarding plantation among the Individual Beneficiaries and the Project Implementation Agencies (PIA) especially the Gram Panchayats.

3) Surveying, planning, designing and costing of works related to Social forestry, agro forestry and allied activities leading to selection of lands suitable for taking up plantations.
4) Facilitating smooth implementation of plans wherein support shall be extended to Individual beneficiaries as well as PIAs for providing good quality plants and other planting material inputs at Schedule of Rates notified by the Rural Development Department, Government of Bihar.
5) Establish nurseries and support establishment of nurseries (to be managed by labour groups as per provisions under MGNREGS) and linking them with procurement of plants under MGNREGS at Schedule of Rates notified by the Rural Development Department, Government of Bihar.
6) Helping willing households in registration under MGNREGA and issuance of Job cards to them, linkage with bank/ Post Office.
7) Helping the willing job card holders in registering their demands.
8) Providing technical support for plantation and maintenance for 5 years/ project,
9) Coordination of attendance marking, measurement, MIS updation, payment of wages into Bank/ Post Office accounts of beneficiaries, reporting etc.
10) Developing monitoring tools as well as ensuring integration with GIS mapping facility etc. provided by BRDS/ Rural Development Department.
11) Coordinate distribution of plants under "Usufructs Scheme and related programme" and use of usufructs by the beneficiaries as per provisions of the any related scheme decided by the Rural Development Department.
12) Provide forward linkages for produce with market and industries related to food processing/ bio-diesel extraction etc. Buy back arrangements with individual beneficiaries at a price not lower than Minimum Support Price decided by the Rural Development Department.
13) Module based training/ capacity building of Individual beneficiaries, PIAs and related MGNREGA functionaries.

अवर सचिव

3) Either party shall be responsible to pay the taxes, duties, fees or any other imposition as levied on them respectively under the applicable law.

4) The payment consideration in this Agreement is only for the services rendered by Name **C. M. Marketing & Research Pvt. Ltd.**of company/Firm/Agencyas a facilitator and laid out in the Scope of Work under Clause I to this Agreement.

5) For supply of material components; Name **C. M. Marketing & Research Pvt. Ltd.**of of company/Firm/Agency will work with the government nursery and facilitate procurement of saplings and ensure transportation to the worksite. Payment against such services will be made as per the Schedule of Rates notified by the Rural Development Department, Government of Bihar

6) When planting material is not available in government nursery then Name **C. M. Marketing & Research Pvt. Ltd.**of of company/Firm/Agency will provide the planting material. Payment against such procurement of material component will be made as per the Schedule of Rates notified by the Rural Development Department, Government of Bihar

7) Namc **C. M. Marketing & Research Pvt. Ltd.**of of companym/Agency will provide the planting material components viz. 2 wheeler water carrying trolley with drum (200 litre capacity), burnt mud pots with cover (5 litre capacity for irrigation) etc. Paymcnt against such procurement of material component will be made as per the Schedule of Rates notified by the Rural Development Department, Government of Bihar

8) For all payment against the services and products provided by Name **C. M. Marketing & Research Pvt. Ltd.**of any/FirmAgency bank account details of Name **C. M. Marketing & Research Pvt. Ltd.**of of company/FirmAgencywill be freezed in the Vendor Registration of MIS of MGNREGA and payment will be done through eFMS, as per instructions of MoRD. in the respective alloted districts.

9) Schedule of Rates for all products and services mentioned in the contract are notified in **Annexure - B.**

III. TERM AND TERMINATION

1) Term: This Agreement is for a period of 5 (five) years, commencing on 07 February, 2015 (Date of Commencement) to 07 February 2020

2) The agreement shall be in force for a period of 5 years .

525

6) Name of C. M. Marketing & Research Pvt. Ltd.of company/FirmAgency shall ensure submission of due reports/MIS to BRDS and shall be responsible to keep BRDS updated on a monthly basis.

7) Name C. M. Marketing & Research Pvt. Ltd.of of companyirm/Agency agree that the information or data acquired while carrying out the Project and is not within the public domain of this Agreement shall, for all time and purpose, bestrictly confidential and shall be held in confidence, and shall not directly or indirectly disclosed to any person whatsoever, except with the due permission of BRDS.

8) It is understood and agreed between the parties that Name C. M. Marketing & Research Pvt. Ltd.of of company/FirmAgency will be a facilitator for the implementation of the project and shall be held liable for any action or omissionthat may give rise to civil, criminal or financial liability of any kind whatsoever only to the extent of their duty defined in this deed.

9) Each Party hereto agrees that it shall comply with all applicable laws, ordinances, codes and regulations. If at any time during the term of this Agreement, a Party is informed or information comes to its attention that it is or may be in violation of any law, ordinance or code (or if it is so determined by any court, tribunal or other authority), that Party shall immediately take all appropriate steps to remedy such violation and comply with such law, regulation, ordinance or code in all respects. Further, each Party shall establish and maintain all proper records (particularly, but without limitation, accounting records) required by any law or code of practice applicable to it from time to time.

V. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

Legal jurisdiction of all disputes related to this agreement will be at Patna.

MISCELLANEOUS

1) Force Majeure: For the purpose of this Agreement, Force Majeure shall mean and include without limitation to war, terrorism, riot, earthquake, fire, floods, epidemic, labour unrest, civil disturbance, security threats or Court orders or any act, cause or reason beyond the control of any Party. If a Force Majeure event has occurred, no

अवर सचिव

1522

ANNEXURE- A

	Facilitator & Their Allotted Districts	
Sl. Nn.	District	Agency
1	Araria	TRY
2	Arwal	Sanmat
3	Aurangabad	CMX
4	Banka	Green Leaf
5	Begusarai	Bhavishya
6	Bhagalpur	Bhavishya
7	Bhojpur	Prakriti
8	Buxar	Prakriti
9	Darbhanga	Sanmat
10	East Champaran	TRY
11	Gaya	Green Leaf
12	Gopalganj	CMX
13	Jamui	Green Leaf
14	Jehanabad	Sanmat
15	Kaimur	Prakriti
16	Katihar	CMX
17	Khagaria	CMX
18	Kishanganj	Jahanvi
19	Lakhisarai	Green Leaf
20	Madhepura	Bhavishya
21	Madhubani	Sanmat
22	Munger	Green Leaf
23	Muzaffarpur	TRY
24	Nalanda	Bhavishya
25	Nawada	Green Leaf
26	Patna	CMX
27	Purnea	Jahanvi
28	Rohtas	Prakriti
29	Saharsa	Green Leaf
30	Samastipur	Jahanvi
31	Saran	Prakriti
32	Shiekhpura	Green Leaf
33	Sheohar	Sanmat
34	Sitamarhi	Sanmat
35	Siwan	CMX
36	Supaul	Green Leaf
37	Vaishali	CMX
38	West Champaran	Sanmat

1520

ANNEXURE- B

Schedule of Rates

Sl. No.	Products and Services	Rate
1	Rate of Big Plants (नींबू, ऑवला, अमरूद, शरीफा, अनार, सहजन, गुलमोहर, अशोक, अगलतासतथासभीलकड़ी के पेड़ (wood trees) के अलावेअन्य बड़ेफलदार वृक्ष बड़े वृक्षों के श्रेणी मेंआयेंगे) ।	Rs 35 per plant
2	Rate of Small Plants (नींबू, ऑवला, अमरूद, शरीफा, अनार, सहजन, गुलमोहर, अशोक, अमलतासतथासभीलकड़ी के पेड़ (wood trees)छोटे वृक्ष की श्रेणी मेंआयेंगे) ।	Rs 15 per plant
3	Rate of Bamboo Plant	Rs 15 per plant
4	Rate of two wheeler water carrying trolley with drum (200 litre capacity)	Rs 5000
5	Rate of burnt mud pots with cover (5 litre capacity for irrigation)	Rs 50 per pot
6	Rate of organic fertilizer and pesticides (@Re 0.90 per plant per spray)	Rs 4320 for the First year and Rs 2160 per year for the rest of four years
7	Rate for transporting plants from govt. nursery to plantation site	Rs 02 per plant

Prakriti Enterprises

Partner

अवर सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक 29/01/2015 को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के कक्ष में सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु Facilitator के साथ हुई बैठक की कार्यवाही:-

- **उपस्थिति-पंजी के अनुसार**

1. सर्वप्रथम सचिव महोदय द्वारा सामाजिक वानिकी हेतु चयनित सभी **Facilitators** का स्वागत किया गया ।

2. नदी के किनारे अथवा जिन जिलों से नदी का प्रवाह है उन जिलों में विशेष रूप से बांस पौधारोपण करने का निर्देश दिया गया । बैठक में 28 जिलों यथा अररिया, अरवल, औरगांबाद, बेगूसराय, भोजपुर, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली में विशेष रूप से बांस पौधा रोपण हेतु निर्णय लिया गया ।

3. बांस पौधारोपण मार्च में ही करने का निदेश दिया गया ताकि जुलाई तक वृक्ष 5-6 फीट का हो जाए एवं बाढ़/बारिश के कारण यदि एक महिना (Month) डुबा भी रहे तो भी पौधे का नुकसान नहीं हो इस संबंध में सूर्यगढ़ा, लखीसराय जिला में लगे वृक्षारोपण को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया एवं उसे देखने हेतु सलाह दी गयी ।

4. मजदूरी के आकलन हेतु बांस पौधारोपण के अंतर्गत पांच पौधा को एक पौधा माना गया एवं इस तरह के एक गड्ढे के लिए सात रूपया निधारित किया गया । एक Pits से दूसरे Pits की दूरी 3 मीटर निर्धारित किया गया । विदित हो कि मुख्य सचिव द्वारा बाढ़ के समय मृदा संरक्षण एवं नदी किनारे कटाव को रोकने हेतु बांस पौधारोपण लगाने का निदेश दिया दिए गया है ।

5. Facilitator द्वारा किए जाने वाले कार्यो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई एवं निदेश दिया गया कि सभी अपने संबंधित जिलों के लिए कार्ययोजना बनाऐं एवं SOP के तहत दिए गये दिशा निदेश का अनुपालन करें ।

6. PMGSY के सड़क के किनारे अर्जुन नीम, करंज, जामुन, शीशम, टीक इत्यादि का वृक्षारोपण करने पर बल दिया गया ताकि पर्यावरण संतुलन के साथ छाया की भी व्यवस्था हो सके ।

7. दक्षिण बिहार में अमार पौधारोपण भी किया जाये ।

8. सामाजिक वानिकी के तहत पौधारोपण का अनुश्रवण हेतु निम्न निदेश दिया गया :-

(क) सभी जिलों में जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त द्वारा एक **PMU** की स्थापना सामाजिक वानिकी के लिए की जायेगी । जिलों में मनरेगा के कार्यपालक अभियन्ता इसके प्रभार में रहेंगे एवं एक **PO** एवं **APO** इस **PMU** के सदस्य होंगे ।

(ख) **Facilitator** द्वारा जिले के **PMU** के सहयोग से जिला वन पदाधिकारी से मिलकर सरकारी नर्सरी में उपलब्ध पौधों की संख्या एवं प्रजाति की जानकारी प्राप्त की जायेगी ।

(ग) सभी **Facilitator** को Saas Application का विधिवत प्रशिक्षण दिया जायेगा । **Facilitator** द्वारा Unit Wise पौधारोपण को Saas Application पर विहित Format में Upload करने का निदेश एवं इसके लिए Android Phone जिस पर Saas Application कार्य कर सके, लेने का निदेश दिया गया ।

(घ) Saas Application पर Grievance Redressal हेतु भी आवश्यक व्यवस्था करने का निदेश दिया गया ताकि अगर किसी प्रकार की असहयोग/समस्या कर्मियों के द्वारा किये जाने पर, उसका त्वरित समाधान किया जा सके ।

(ङ) प्रपत्र पर PRS/PTA का हस्ताक्षर भी रहेगा । मनरेगा कर्मियों जैसे AE/JE/PTA एवं PRS द्वारा सम्पादित कार्यो से उनके Payment को लिंक किया जायेगा ।

(च) Facilitator द्वारा पाक्षिक प्रतिवेदन (PRS /PTA द्वारा हस्ताक्षरित) PMU को समर्पित किया जायेगा उक्त प्रतिवेदन की तीन कॉपी, DDC, PO एवं Office कॉपी होगी। DDC द्वारा अधिकतम एक सप्ताह के अंदर प्रपत्र को Countersign कर जिला स्तरीय PMU को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(छ) सभी Facilitator को लखीसराय एवं जमूई जिलें में पौधारोपण कार्य का स्थल निरीक्षण एवं उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु भ्रमण कराने का निदेश दिया गया ।

विश्वासभाजन

(एस.एम. राजू)

सचिव

10/2/15

ज्ञापांक 220017 / दिनांक 10/02/15

प्रतिलिपि- सभी जिला अधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

10/2/15

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 216963 पटना, दिनांक 19.01.2015

ग्रा0वि0-7(सा0वा0)-08/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सचिव,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय-: **कार्यक्रम पदाधिकारियों के एक दिवसीय Orientation कार्यक्रम के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 216791 दिनांक 19-01-2015 (प्रति संलग्न) ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 27-01-2015 को प्रखंड विकास पदाधिकारियों का एक दिवसीय **Orientation** कार्यक्रम का आयोजन रविन्द्र भवन परिसर, पटना में किया जा रहा है । उक्त **Orientation** कार्यक्रम के उपरांत संध्या 04:00 बजे से सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों का **Orientation** कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा ।

1. इस **Orientation** कार्यक्रम में सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है ।

2. अपने जिले में पदस्थापित सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को कार्यक्रम में भाग लेने एवं ससमय उपस्थिति सुनिश्चित किया जाये । उक्त **Orientation** कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी अपनी सरकारी गाड़ी में कार्यक्रम पदाधिकारी को भी साथ में लायेंगे ।

3. विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया की पुस्तिका तैयार गयी है जिसका वितरण दिनांक 27.1.15 को 10 बजे पूर्वाहन से रविन्द्र भवन परिसर में किया जायेगा । सभी कार्यक्रम पदाधिकारी अपने प्रखण्ड हेतु आवंटित पुस्तिकाओं को प्राप्त कर अपने प्रखण्ड की गाड़ी में रखवाना सुनिश्चित करेगे एवं प्राप्ति रसीद समर्पित करेगे। पुस्तिकाओं के वितरण हेतु विभाग में प्रतिनियुक्त कार्यक्रम पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति प्रमंडलवार की गयी है जो पत्र के साथ संलग्न है।

4. इस कार्यक्रम में किसी भी पदाधिकारी की अनाधिकृत अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जायेगा ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सचिव
20/1/15

पत्रांक–ग्रा0वि0–7(सा0वा0)–08/2014/- 215360

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक/
उप विकास आयुक्त–सह–जिला अपर कार्यक्रम समन्वयक/
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 07 जनवरी, 2015

विषयः–मनरेगा योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी का कार्यान्वयन Facilitater के सहयोग से कराने के संदर्भ में दिशा–निदेश।

प्रसंगः–ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–11017/17/2008–NREGA(UN) (Part-II), Datcd-31 July, 2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पूर्व में मुखिया स्तर पर जो भी पौधारोपण का कार्य कराया जा रहा था उसके कियान्वयन के क्रम में कई कमियाँ उजागर हुयी हैं यथा–पौधे की गुणवत्ता का ठीक न होना, एक पौधे से दूसरे पौधे की बीच की आदर्श दूरी को मेंटेन (Maintain) नहीं करना एवं पौधा को लक्ष्य समूह के साथ संलग्न करने के संदर्भ में इत्यादि। इन कमियों को दूर करने के संबंध में उच्च स्तर पर आयोजित बैठक में, लिये गये निर्णय के अनुसार सभी ग्राम पंचायत में Facilitator के सहयोग से ही सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना है। Facilitator को ग्राम पंचायत के साथ सम्बद्ध करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–J-11011/1/2014–RE.I, दिनांक 04 September, 2014 के द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारोपरान्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अद्यतन दिशा–निर्देश के अनुसार निम्नांकित दिशा–निदेश दिया जाता है :–

(i) इस परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु विस्तृत दिशा–निदेश अर्थात् (SOP) बनाया गया है जिसे इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है। SOP के सभी बिन्दुओं का शत–प्रतिशत अनुपालन करते हुए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को कार्यान्वित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप जितनी राशि की अनुभान्यता पक्का कार्य कराने के लिए उपलब्ध होगी उस राशि से यथा–संभव शौचालय एवं महादलित टोला के लिए पहुँच पथ का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करया जाएगा।

(iii) वित्तीय वर्ष 2012–13 तक जो भी योजना सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लिया ली गयी है, उसके अभिलेख को बंद करते हुए, उन पौधों को वन संरक्षण योजना के अन्तर्गत 50–50 पेड़ एक परिवार के साथ संलग्न किया जाए। पूर्व में यदि एक परिवार को 20 वृक्ष दिया गया है तो वैसे परिवारों को 20 वृक्ष के अलावे 30 वृक्ष अतिरिक्त अर्थात कुल 50 वृक्ष दिया जाए। इस कार्यक्रम में सभी Facilitator का उपयोग कर कार्य को कराया जाए। इसके लिए Facilitator को अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(iv) वर्ष 2013–14 में जो भी पौधारोपण अब तक किया गया है उसके अभिलेख को बंद करते हुए अद्यतन दिशा–निदेश के अनुसार 200 पेड़ के लिए दो परिवारों को संलग्न किया जाए। संलग्न करने के समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी अनुमान्य दूरी से कम हो तो न्यूनतम दूरी को दृष्टिपथ में रखते हुए अलग से थीनिंग (Thinning) करते हुए वर्तमान प्राक्कलन के अनुसार अभिलेख खोला जाए और यदि इन योजनाओं में निर्धारित मापदंड के अनुरूप पौधारोपण का कार्य नहीं किया गया हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही पौधारोपण के समय एक बड़े पौधे से दूसरे बड़े पौधे की दूरी छः मीटर के बीच में एक छोटा फलदार पौधा का प्रावधान विस्तृत दिशा–निदेश में किया गया है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि दो बड़े पौधों के बीच में एक छोटा फलदार पौधा लगाया जाए। इस कार्यक्रम में सभी Facilitator का उपयोग कर कार्य को कराया जाएगा। इसके लिए Facilitator को अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा और यह कार्य फरवरी, 2015 के अन्दर पूर्ण कराया जाय ।

(v) इस क्रम में जो नए अभिलेख खोले जाएगें उसमें योजना के क्रियान्वयन तिथि से अब तक की अवधि को पॉच वर्षो की अवधि से घटाकर वृक्ष संरक्षण योजना के तहत् संरक्षण हेतु प्रत्येक 200 पौधे के लिए दो परिवार के साथ संलग्न किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप यदि कोई योजना वित्तीय वर्ष 2013–14 की है तो अब उसे मात्र तीन वर्षो के लिए संलग्न किया जायेगा।

(vi) Facilitator के द्वारा किये गये कार्यो को करने का खर्च प्रत्येक योजना के अन्तर्गत दो प्रतिशत आकस्मिक निधि के द्वारा वहन किया जाएगा एवं इसका भुगतान पॉच साल तक बराबर मात्रा में बॉटकर प्रत्येक महीना उनके कार्य के प्रगति के आधार पर किया जायेगा।

(3) सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत पहली प्राथमिकता सभी निःसक्त (Differently abled) व्यक्ति रहेंगे, दूसरी प्राथमिकता सभी समुदाय के विधवा एवं तीसरी प्राथमिकता सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ रहेंगी। तदनुसार इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

(4) Facilitator की यह भी जिम्मेवारी होगी कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी महिला कार्य करेंगी उन महिलाओं का, कम–से–कम 12 महिलाओं का समुदायवार स्वयं सहायता समूह बनाकर जीविका संस्था के योजनाओं के साथ जोड़ेंगे, ताकि इन महिलाओं को अन्य जीविकोपार्जन का भी लाभ मिल सके।

(5) इस परियोजना के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमैंट यूनिट का सृजन किया गया है जिसके नोडल पदाधिकारी श्री कुमार सिद्धार्थ, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को बनाया गया है जिनका मोबाईल नं0–9431818387 है। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर इनसे सम्पर्क किया जा सकता है।

विश्वास भाजन,

(एस0 एम0 राजू) 7.1.15

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 215 369 पटना, दिनांक– 07 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

7.1.15